

HDFC Bank Ltd Jawahar Road muzzafar

अनुसूची २१ - प्रपत्र संख्या ११३।

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

आवेदन सं० 22828/18

प्रमाण-पत्र, सं० 20/31/18

चूंकि श्री Ravindra prasad singh ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अवधारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

20/31
7.7/18

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में कहीं १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1-1-2005 से ता० 30-6-2018 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Manna Mohammad prab Kazi Thum No 244 Anchal muzzafar Dist muzzafar		Khata 274	Khata 151 Ka 151 KLa 151 Ga 151 Gha 151 Bga 151 Cha 151 Chha 154	Mr B.K.D 0-16-17			

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

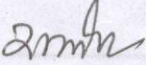
(ख) १। बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें।

२। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक कमान दर्ज करें।

बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

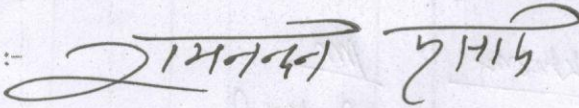
मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार को पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

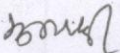
(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- 

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

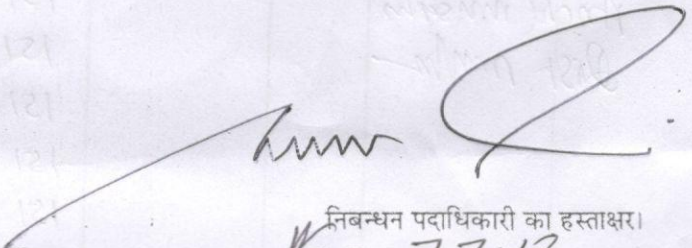
(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- 

कार्यालय 

तारीख 7.7.18




निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
77 77/18

टिप्पणी :- (१) इस प्रमाण पत्र में जो व्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निर्बोधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम के धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सहायक से की है। फिर भी, विधान प्रमाण पत्र दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूँढे गये संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा जिससे उच्च सम्पत्ति पर प्रमाण पड़ता हो।